

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-24/2023- / स्वा०,

पटना, दिनांक / / 2025

डा० सुषमा कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री एवं प्रसव रोग), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बख्तियारपुर, पटना द्वारा दिनांक-01.03.2024 से 30.10.2025 तक कुल-609 (छः सौ नौ) दिनों के उपभोगित/उपभोग की जाने वाली अवधि को सिविल सर्जन, पटना के पत्रांक-1506 दिनांक-10.02.2024 द्वारा किये गये अनुशंसा एवं वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इस अवकाश की स्वीकृति के पश्चात् डा० सुषमा कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के पक्ष में शिशु देखभाल अवकाश शून्य है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / -

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

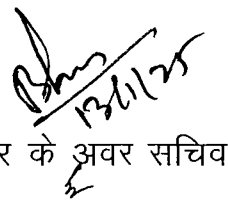
ज्ञापांक-2/एल-24/2023-

76(2)

पटना, दिनांक 16/01/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बख्तियारपुर, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० सुषमा कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बख्तियारपुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव